

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 07.10.2024

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए पीड़िता को ना0म0जोशी पुलिस ठाणे मुम्बई से सकुशल बरामद किया ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल प्रयवेक्षण में चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त गिरफ्तार करते हुए पीड़िता को ना0म0जोशी पुलिस ठाणे मुम्बई से सकुशल बरामद किया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.10.2024 को ना0म0 जोशी पुलिस ठाणे मुम्बई पुलिस द्वारा एक लड़का व एक लड़की को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ की गयी तथा दोनो को ना0म0 जोशी पुलिस ठाणे मुम्बई पर लाया गया है पूछताछ के बाद ना0म0 जोशी पुलिस ठाणे मुम्बई द्वारा वादी व थाना पुलिस को अवगत कराया गया कि अपहृता/पीड़िता व अभियुक्त पंकज ना0म0 जोशी पुलिस ठाणे मुम्बई पर मौजूद है। उक्त सूचना पर थाना पुवायाँ से एक पुलिस टीम उच्चाधिकारीगण से अनुमति प्राप्त कर ना0म0 जोशी पुलिस ठाणे मुम्बई रवाना की गयी। दिनांक 04.10.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम ने ना0म0 जोशी पुलिस ठाणे मुम्बई पहुँच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए । अभियुक्त पंकज ठाकुर को मा0 न्या0 सत्र न्यायधीश मुम्बई में पेश कर ट्रैजिट रिमाण्ड प्राप्त कर दिनांक 06.10.2024 को समय 21.58 पर थाना वापस आयी अपहृता / पीड़िता को बयान बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस मेडिकल हेतु भेजा गया तथा अभियुक्त पंकज ठाकुर पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम भैसोडा थाना असमोली जिला संभल को बाद विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पंकज ठाकुर पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम भैसोडा थाना असमोली जिला संभल

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

1. मु0अ0स0 658/24 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस तथा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट थाना पुवायाँ शाहजहांपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.प्र0नि0 श्री हरपाल सिंह बालियान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
- 2.उ0नि0 श्री मनीष पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
- 3.का0 का0 2790 शिवकुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर